न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–95 / 2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः–11.10.2023

उनवान– 1. विश्राम सिंह पुत्र हरबक्स उर्फ बक्सी जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. जगदीश पुत्र गुरूसहाय
2. चेतप्रकाश पुत्र नन्दाराम
3. धप्पो देवी पत्नि नन्दाराम
4. रामकुंवार पुत्र श्रवण
5. रोहिताश पुत्र नन्दाराम
6. लालाराम पुत्र पन्नालाल
7. हरफुल पुत्र गुरूसहाय

} समस्त जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ जिला अलवर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

दावा उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती नक्शासीट

मुकदमा नं.–95 / 2023 सन्–2023

निर्णय दिनांक 11.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र दावा उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती नक्शासीट पेश किया कि ग्राम बाढबगीची तह. बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खाता सं. नया 146 पुराना 136 के आराजी खसरा नं. 647 / 175 रकबा 0.06 हैक्ट. है। जिसका खातेदार वादी है व वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वाद पत्र में वर्णित उक्त भूमि वादी ने उसके खातेदार हरिकृष्ण पुत्र हीरालाल से भूमि क्रय कर दिनांकः 19.05.2023 को उपपंजीयक कार्यालय बॉदीकुई में पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 55 में पृष्ठ सं. 135 क्रम सं. 202303158100461 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 122 के पृष्ठ सं. 231 से 240 पर चस्पा कर भूमि पर कब्जा कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी द्वारा उक्त भूमि बाबत सीमाज्ञान करवाने हेतु हल्का पटवारी से दिनांकः 20.05.2023 को मिलने पर वादी को जानकारी हुई की उक्त खसरा नं. नक्शासीट में दिशा पूर्व की जगह सडक के दिशा पश्चिम की ओर नक्शासीट में तरमीम कर रखा है।

वादी द्वारा इस संदर्भ में पूर्व के खातेदारों के मध्य हुये विभाजन बाबत तहसील बसवा से नकल प्राप्त करने पर जानकारी मिली कि विभाजन प्रस्तावक में एवं उसके साथ संलग्न प्रस्तावक कुर्रेजात में वादी की भूमि खसरा नं. 647 / 175 सडक के दिशा पूर्व की ओर स्थित है। जहां वादी का विक्रेता द्वारा मौके पर कब्जा करवाया है तथा आज भी वादी का दिशा पूर्व की ओर स्थित भूमि पर मुताबिक विभाजन प्रस्तावक अनुसार कब्जा है तथा विभाजन

उप खण्ड अधिकारी,
बांदीकई (दौसा)

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव के अनुसार सडक के दूसरी तरफ खसरा नं. 677/175 है. तथा उसी अनुसार खसरा नं. 677/175 के खातेदार सडक के दिशा पश्चिम की ओर स्थित अपनी भूमि पर काबिज हैं। विभाजन के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शासीट में तरमीम करते समय सहवन से वादी के खसरा नं. 647/175 को दिशा पूर्व के स्थान पर दिशा पश्चिम की ओर कर दिया है एवं पश्चिम की ओर स्थित खसरा नं. 677/175 को दिशा पूर्व की ओर गलत तरमीम कर दिया। रकबा दोनो ही खसरा नम्बरान का बराबर–बराबर है। खसरा नं. 677/175 के खातेदारों द्वारा मौके पर अपने हिस्से पर पुख्ता दुकानें आदि का निर्माण कर रखा है। इसलिए भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शासीट में दिशा पूर्व की ओर खसरा नं. 647/175 के स्थान पर जो खसरा नं. 677/175 का अंकन कर दिया है। उसे हजफ कर नक्शासीट में खसरा नं. 677/175 के स्थान पर सही इन्द्राज खसरा नं. 647/175 किया जावे एवं जहां नक्शासीट में खसरा नं. 647/175 के स्थान पर खसरा नं. 677/175 का इन्द्राज किया जाकर उसी अनुसार नक्शासीट में शुद्धि की जावे। जिस हेतु वादी द्वारा दुरूस्ती बाबत हल्का पटवारी से दिनांकः 05.06.2023 को कहा तो हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त करने पर ही दुरूस्ती करने हेतु कहा। इसलिए वादी को अपने हक में उक्त नक्शासीट में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाया जाकर मुताबिक विधिक बंटवारा अनुसार मुताबिक कुर्रेजात वादी नक्शासीट में उसी अनुसार सही दुरूस्ती करवाकर अपने हक में उद्घोषणा करवाने का अधिकारी. है। अतः निवेदन है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शासीट में कुर्रेजात से भिन्न तरमीम कर दिशा पूर्व की ओर खसरा नं. 647/175 के स्थान पर जो खसरा नं. 677/175 का गलत अंकन कर दिया है उसे हजफ कर नक्शासीट में खसरा नं. 677/175 के स्थान पर सही इन्द्राज खसरा नं. 647/175 किया जावे एवं जहां नक्शासीट में खसरा नं. 647/175 का इन्द्राज हो रहा है के स्थान पर खसरा नं. 677/175 का इन्द्राज किया जाकर उसी अनुसार नक्शासीट में दुरूस्ती की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी शपथ पत्र विश्राम सिंह पुत्र हरबक्स उर्फ बक्सी जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तह. बॉदीकुई का पेश किया गया। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये।

वादी वकील बहस सुनी गयी। वादी वकील ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस वादी वकील पर मनन किया। वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रति राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम बाढबगीची खाता सं. नया 146 पुराना 136– प्रदर्श 1, जमाबन्दी खाता सं. नया 30 पुराना 28 प्रदर्श–2, विभाजन पत्र बाबत कृषि भूमि–प्रदर्श 3, प्रस्तावित कुर्रेजात–प्रदर्श 4, पटवारी हल्का रिपोर्ट–प्रदर्श 5, विभाजन प्रस्ताव के संलग्न स्टाम्प–प्रदर्श 6, छायाप्रति विक्रय पत्र दिनांकः 19.05.2023, छायाप्रति नक्शा ट्रेस ग्राम बाढबगीची का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांकः 19.05.2023 छायाप्रति के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 647/175 वादी द्वारा क्रय किया जाना प्रकट है। राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम बाढबगीची खाता सं. नया 146 पुराना 136 के वादग्रस्त खसरा नं. 647/175 वादी के बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड होना एवं जमाबन्दी खाता सं. नया 30 पुराना 28 के वादग्रस्त खसरा नं. 677/175 प्रतिवादीगण के बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड होना अंकित है। विभाजन पत्र बाबत कृषि भूमि एवं संलग्न प्रस्तावित कुर्रेजात नक्शा ट्रेस के अवलोकन से वादग्रस्त खसरा नं. 647/175 दिशा पूर्व में एवं खसरा नं. 677/175 दिशा पश्चिम में दर्ज होना प्रकट है।

अतः उपरोक्त दस्तावेजातों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 647/175 वादी की एवं खसरा नं. 677/175 प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि है। विभाजन पत्र के संलग्न प्रस्तावित कुर्रेजात नक्शा ट्रेस में वादग्रस्त खसरा नं. 647/175 दिशा पूर्व में एवं खसरा नं. 677/175 दिशा पश्चिम में

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

दर्ज है। परन्तु विभाजन के पश्चात उक्त खसरा नंबरान की नक्शासीट में तरमीम करते समय सहवन से वादी के खसरा नं. 647/175 को दिशा पूर्व के स्थान पर दिशा पश्चिम की ओर एवं पश्चिम की ओर स्थित खसरा नं. 677/175 को दिशा पूर्व की ओर गलत तरमीम कर दिया। जिससे उक्त खसरा नंबरान की नक्शासीट में तरमीम करते समय सहवन से त्रुटि कारित होना प्रकट होता है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकनं के आधार पर वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती नक्शासीट स्वीकार किया जाता है तथा नक्शासीट में दिशा पूर्व की ओर खसरा नं. 647/175 के स्थान पर जो खसरा नं. 677/175 का गलत अंकन कर दिया है उसे हजफ कर नक्शासीट में खसरा नं. 677/175 के स्थान पर सही इन्द्राज खसरा नं. 647/175 किया जाने एवं जहां नक्शासीट में खसरा नं. 647/175 का इन्द्राज हो रहा है के स्थान पर खसरा नं. 677/175 का इन्द्राज किया जाकर उसी अनुसार नक्शासीट में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नीरज कुमार मीणा) बांदीकुई (दौसा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with CamScanner